

दिनांक 02-09-2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, रोसड़ा अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.-13B/Rosera कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक-2217(E) दिनांक-01.04.2026, पत्रांक-2360(E) दिनांक-09.04.2026 एवं पत्रांक-5625(E) दिनांक-17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-2444 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2583(अनु०) दिनांक-24.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक-24.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशांसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या : पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 13B/Rosera
- 2.2 योजना मद : 3054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, रोसड़ा
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹16372.76 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹18353.92 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1614 (अनु०) दिनांक-24.05.2026
- 2.6 ECV/परिमाण विपत्र की राशि : ₹16229.50 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 (Eighty-four) Months.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (MBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026
- 2.10 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 04 (चार) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

- (1) M/S Broadway Links Pvt. Ltd
- (3) Vinod Kumar Jain

- (2) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
- (4) Avednex Pvt. Ltd.

4. उपभागीय ज्ञापांक-2444, दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में 04 (चार) निविदाकारों में से 01 (एक) निविदाकार यथा (i) M/S Broadway Links Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

शेष 02 (दो) निविदाकार यथा (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 3, Clause 2.2.2 Section 4E.4 एवं Section 3, Clause 1.2.1(b) एवं (2) Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 4E.10, NIT के क्रमांक -39 एवं NIT के क्रमांक-29 के तहत निविदा में वांछित न्यूनतम अर्हता नहीं पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया तथा 01 (एक) निविदाकार Avednex Private Limited द्वारा e-proc 2.0 में वांछित कागजातों के विरुद्ध केवल GST रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ Upload किया गया तथा EMD के भी कागजात निविदा में नहीं Upload किया गया है फलस्वरूप इनके निविदा को अमान्य किया गया।

विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक- 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया, बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक-2444, दिनांक- 13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरुद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक-RRC/26-27/204 दिनांक-14.08.2026 एवं (2) Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/009, दिनांक-15.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2583(अनु०) दिनांक-24.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक-24.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरुद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक-RRC/26-27/204 दिनांक-14.08.2026 एवं (2) Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/009, दिनांक-15.08.2026 के द्वारा आपत्ति प्राप्त हुआ जो निम्नवत् है :-

परिवाद /आपत्ति की समीक्षा :-

परिवाद /आपत्ति	समीक्षा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1. Rai Raj Construction Pvt. Ltd. द्वारा दी गयी आपत्ति :- उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि उक्त पथ प्रण्डल रोसड़ा अंतर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Contract प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Packave No.- 13B/Rosera में मेरे द्वारा निविदा में भाग लिया गया था परन्तु आपके द्वारा ITB Clause- 17 के आलोक में बिड security BG	निविदाकार Rai Raj Construction Pvt. Ltd द्वारा निविदा में भाग लिया गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा ITB Clause-17 एवं MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया। इनके द्वारा Uploaded Bid Security का Bank Guarantee के	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

के रूप में Conditional BG Upload किया गया एवं पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन दो कार्यों यथा (1) बिहार बख्तियापुर पथ कारगिल चौक से पचासा मोड़ का चौड़ीकरण एवं (2) पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अन्तर्गत NH-82 leftout अंश (इतवारी बाजार से उपरौरा मोड़) पथ का चौड़ीकरण कार्य न्यूनतम निविदाकार होने के फलस्वरूप आवंटन होने के बावजूद एकरारनामा नहीं किया गया। ये दोनों कारण लगाकर आपके द्वारा तकनीकी बिड में असफल किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। (1) मुख्य शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बरौदा कदम कुआँ पटना द्वारा निर्गत बैंक गारंटी RBI के गार्ड लाइन के अनुरूप बनाया गया है। जिसे विभाग को किसी तरह का आवश्यकता पड़ने पर जब्ती पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। जिसका justification मुख्य शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बरौदा कदम कुआँ द्वारा पत्र के द्वारा आश्वस्त कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल सोनपुर को अवगत कराया गया है कि विभाग को किसी भी समय बैंक गारंटी आवश्यकता पड़ने पर जब्ती किया जा सकता है छायाप्रति संलग्न।	साथ अंकित है कि This Guarantee will be operative when Accompanied with advice (SFMS) issued from the advising Bank परन्तु B.G. के साथ SFMS से संबंधित अभिलेख Upload नहीं किया गया है जो B.G. का Integral part है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	
(2) पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अन्तर्गत दो पथों में कार्य आवंटन हुआ था परन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा forest clearnace एवं Utility shifting का NOC नहीं उपलब्ध कराने के कारण मेरे द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया जिसके लिए अनेको बार पत्र के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को बार-बार अनुरोध मेरे द्वारा किया गया कि अविलम्ब forest clearnace एवं Utility shifting का NOC उपलब्ध कराया जाये क्योंकि दोनों पथों में Road का चौड़ीकरण करना था। बिना forest clernace एवं Utility shifting हटाये हुए कार्य करना संभव नहीं था छायाप्रति संलग्न। परन्तु कार्यपालक	निविदाकार द्वारा पथ प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत न्यूनतम निविदाकार होने पर आवंटित दोनों कार्य का LOA निर्गत होने के बाद भी एकरारनामा नहीं किया गया, जिसके कारण कार्य ससमय नहीं कराया जा सका एवं विभाग द्वारा पुनर्निविदा किया गया। उपरोक्त परिस्थिति MBD के Section 3 Clause 1.2.1 (b) record of poor performance such as	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

अभियंता का ज्ञापांक- 1952 दिनांक- 15.09.2025 को निविदा में जमा जमानत की राशि बैंक गारंटी दोनों पथों का जब्त करने हेतु कारवाई की गयी। इसके उपरांत ही मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के कोर्ट में मुझे जाना पड़ा। forest clearance एवं Utility shifting का NOC न प्राप्त होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत Letter No.- 1425 दिनांक- 03.07.2025 Revised Letter of Acceptance एवं Letter No.- 1426 दिनांक- 03.07.2025 Revised Letter of Acceptance दोनों LOA माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसका छायाप्रति संलग्न। अतः श्रीमान् से सादर पूर्वक अनुरोध है कि दो कारणों से तकनीकी बिड में असफल किया गया है। मेरे द्वारा साक्ष्य के साथ बिन्दुवार आवश्यक कागजात समर्पित के साथ अनुरोध है कि मुझे पुनः तकनीकी बिड में सफल करने हेतु पुनः विचार की कृपा की जाये।	abandoning the works के श्रेणी में आता है, तदालोक में MBD के Section 1.2.1. (b) के तहत असफल घोषित किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	
2. Vinod Kumar Jain द्वारा दी गयी आपत्ति :- Representation has been sought vide letter cited under reference-1 communicated vide mail dated 14.08.2026 in respect of alleged deficiency in compliance of instructions by the Contractor as bidder in submission of bids for the aforementioned works invited through NIT (S) under reference. 2 The Contractor's/Bidder's bid has been considered non responsive primarily on following issues, in respect of which Contractor's /Bidder's representation is submitted below- (i) 25/- Advocate welfare stamp is not attached with Affidavit. :- An advocate Welfare stamp is not governed by the Indian Stamp Act, 1899.	निविदाकार Vinod Kumar Jain को NIT के क्रमांक- 28 के आलोक में शपथ-पत्र के साथ Rs. 25/- का Advocate welfare stamp Affixed कर निविदा के साथ Upload करना था, जो निविदाकार द्वारा नहीं किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

Instead, it is mandated by specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, and it is legally required to be affixed on a Vakalatnama, not strictly on an ordinary affidavit to make the affidavit valid. The welfare stamp is a statutory requirement meant to be pasted and cancelled on a Vakalatnama (the authorization document given to a lawyer) to fund the welfare and social security of advocates. Whereas, the validity of an affidavit itself falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), rather than advocate welfare legislation. Since the submitted Affidavit is not a Vakalatnama mandated to be affixed under specific State Advocates' Welfare Fund Act, 2001, rather it is a document falls under the Code or Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), hence Advocate Welfare Stamp is not required to be affixed on the Affidavit. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bid cannot be considered as " non-responsive" on this ground.		
(ii) 01 Work Supporting certificate issued by Engineer-in-Charge not attached :- The Contractor/Bidder in said respect has submitted (i) Work Orders for the projects billing not yet done; (ii) Work supporting certificate issued by Engineer-in-Charge (iii) pass orders of latest Running Account Bills works under progress The documents submitted in respect of	निविदाकार द्वारा MBD के Section 4E.10 (c) एवं NIT के क्रमांक— 39 के आलोक में Uploaded Existing Commitment की सूची के क्रमांक — 5 पर अंकित कार्य "PROVN OF OTM ACCN AND ALLIED INFRA FOR KLP AT NASIRABAD" से संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत / हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

aforementioned (i) and (ii) are not in dispute Regarding 01 work for which the Engineer-in-Charge's certificate could not be obtained due to unavoidable reasons, the submitted Running Account Bills fulfil the requirement for which the supporting certificate from the Engineer-in-Charge was sought. Since the Engineer-in-Charge's certificate has already been submitted for the majority of the works, non-submission of only 01 such certificates due to unavoidable reasons cannot be grounds for declaring the bid non-responsive. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bis cannot be considered as "non-responsive" on this ground. 3. Therefore on the above representation made by the contractor/Bidder, it is with utmost respect and humility in the interest of public, competitiveness and justice requested to please be kind to consider the Contractor's/Bidder's Bids responsive for opening of its Financial Bids.	Upload नहीं किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	
--	--	--

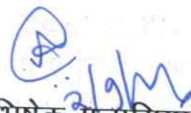
7. परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त निविदाकार (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक—RRC/26-27/204 दिनांक— 14.08.2026 एवं (2) Vinod Kumar Jain के पत्रांक—VKJ/OPRMC/009, दिनांक—15.08.2026 द्वारा दिए गए आपत्ति को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अमान्य करते हुए उपभागीय ज्ञापांक—2444, दिनांक— 13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये सफल/असफल के निर्णय को यथावत रखा जा सकता है।





8. परिवाद समिति का निर्णय :-
- (i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक— RRC/26-27/209 दिनांक—14.08.2026 (2) Vinod Kumar Jain के पत्रांक—VKJ/OPRMC/009, दिनांक—15.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय लिया गया।
- (ii) विषयांकित निविदा के कुल 04 (चार) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 3, Clause 2.2.2 Section 4E.4 एवं Section 3, Clause 1.2.1(b) एवं (2) Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 4E.10, NIT के क्रमांक—39 एवं NIT के क्रमांक—28 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया एवं शेष 01 (एक) निविदाकार, Avednex Private Limited द्वारा e-proc 2.0 में वांछित कागजातों के विरुद्ध केवल GST रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ Upload किया गया है। यहाँ तक कि EMD के भी कागजात निविदा में नहीं Upload किये गये हैं। फलतः इनके निविदा को अमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।
- (iii) एक (01) निविदाकार यथा M/s Broadway Links Private Limited द्वारा निविदा की वांछित अर्हता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।
- (iv) उपभागीय ज्ञापांक—2444 दिनांक—13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक—13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय निर्णय को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।
- (v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

 (सुनील कुमार सुमन) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (राजेश कुमार गुप्ता) मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (अभिषेक पलासिया) संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (उमा कान्त रजक) अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
---	---	--	--

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-137/2026 6202(E) पटना, दिनांक 21/9/2026

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 (उमा कान्त रजक)
 अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
 पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।